जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी **श्री ग्यारसी लाल मीना अध्यक्ष**
श्रीमती हेमलता अग्रवाल सदस्या

परिवाद संख्या :— 398 / 2012

कृष्ण अवतार मालाणी उम्र 36 वर्ष पुत्र स्व. श्री रामअवतार मालाणी, निवासी— मालाणी हाउस, रोड़ नं. 1 विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया, सीकर रोड़, जयपुर।

परिवादी

बनाम

1. मणीपाल हॉस्पिटल जयपुर(ए यूनिट ऑफ मणिपाल हैल्थ एन्टरप्राईजेज प्रा0लि0) जरिये निदेशक / संरक्षक / मालिक / अधिकृत प्रतिनिधि, पता— सेक्टर—5 विद्याधर नगर, मैन सीकर रोड, जयपुर ।
2. डॉ. दिव्य रतन धवन, मणिपाल हॉस्पिटल, पता— सेक्टर—5 विद्याधर नगर, मैन सीकर रोड, जयपुर—302039

विपक्षीगण

परिवाद अन्तर्गत धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019

उपस्थितः—

01. श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता परिवादी।
02. श्री विकास मैसी अधिवक्ता विपक्षीगण।

परिवाद प्रस्तुति दिनांकः— 27.06.2022

निर्णय दिनांकः— 13.03.2024

01. परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी के पेट में दर्द होने पर दिनांक 08.02.2022 को विपक्षी सं0 1 के अस्पताल में दिखाया तो विपक्षी सं0 2 ने परिवादी को सोनोग्राफी कराने बाबत कहा जिस पर परिवादी ने अविलम्ब सोनाग्राफी कराई जिसकी रिपोर्ट विपक्षी सं0 2 को दिखाने पर विपक्षी सं0 2 ने परिवादी व उसकी पत्नी को जाहिर किया कि परिवादी की बांयी तरफ की किडनी के यूरेटर में लगभग 13 एम.एम का स्टोन व कुछ छोटे स्टोन किडनी में ओर बताये और अविलम्ब परिवादी को दूरबीन से ऑपरेशन करने बाबत कहा और यह आश्वासन दिया कि दूरबीन से नोरमल प्रक्रिया के तहत ऑपरेशन बहुत कम समय में हो जायेगा और अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया जायेगा तथा यह भी जाहिर किया कि लेजर के जरिये ऑपरेशन कर स्टोन निकाल दिये जायेगें जिससे परिवादी को कोई तकलीफ नहीं होगी। विपक्षी

सं0 1 ने परिवादी के भर्ती होने के उपरांत सभी आवश्यक जांचे करवाई थी और परिवादी के किडनी में स्टोन के अतिरिक्त अन्य सभी जांचे सामान्य थी एवं परिवादी के हिमाग्लोबिन 15 था। विपक्षी सं0 2 ने परिवादी की सभी जांचे, रिपोर्ट देखने के पश्चात दिनांक 09.02.2022 को परिवादी का लेजर/दूरबीन से ऑपरेशन कर परिवादी की किडनी से स्टोन निकाले और कहा कि आपका ऑपरेशन हुआ है, कुछ दर्द तो होगा ही, कुछ दिन में ठीक हो जायेगा। उसके उपरांत दिनांक 11.02.2022 को विपक्षी सं0 2 ने डिस्चार्ज करने को कहकर विपक्षी सं0 1 के स्टाफ द्वारा परिवादी के यूरिन के लिए लगाये गये केथेटर को केथेराईजेशन कर केथेटर/यूरिन बैग हटा दिया जिस समय परिवादी के पेटे में पूर्व की भांति दर्द हो रहा था और परिवादी के यूरिन की जगह से काफी ब्लड निकल रहा था एवं ब्लड के क्लोटस निकल रहे थे। इस बाबत अविलम्ब परिवादी की पत्नी ने विपक्षीगण को बताया तब भी विपक्षीगण ने आपातकालीन प्रक्रिया न अपनाकर डॉक्टर का इंतजार करने बाबत कहा और बाद में डॉक्टर ने परिवादी को इमरजेन्सी में लेकर तीन–तीन लीटर की बोतल लगाकर परिवादी का यूरिन टयूब से यूरिन निकाला जिसे परिवादी व उसके परिवाजन काफी घबरा गये और विपक्षीगण के उक्त कृत्य से यह स्पष्ट प्रमाणित हो रहा था कि परिवादी के ऑपरेशन के बाद से ही यूरिन नही आ रहा था अथवा बहुत कम आ रहा था लेकिन इस पर विपक्षीगण ने किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया और इतनी गंभीर समस्या को नजरअंदाज करते हुये चिकित्सकीय त्रृटि कारित की है जिसके लिए विपक्षीगण पूर्णरूपेण जिम्मेदार है। तदोपरांत परिवादी को दिनांक 17.02.2022 को परिवादी को 08 दिन की दवाई देकर डिस्चार्ज किया गया लेकिन इसके 4–5 दिवस पश्चात ही परिवादी के यूरिन से अत्यधिक ब्लीडिंग होने व ब्लड के क्लोटस निकलने पर आपातकालीन स्थिति में परिवादी को पुनः 24.02.2022 को विपक्षी सं0 1 के अस्पताल में लाया गया और विपक्षीगण ने पुनः परिवादी को POST PCNL/ SEPSIS, BLEEDING भर्ती किया गया और उस दौरान काफी पानी पीने के बाद बाथरूम के लिए भेजने पर परिवादी के इतनी अधिक मात्रा में यूरिन से ब्लड व ब्लड के क्लोटस आये जिसे देखकर न सिर्फ परिवादी सदमें आया बल्कि परिवादी की पत्नी भी उक्त वस्तुस्थिति को देख नहीं सकी और दिनांक 24.02.2022 से 03.03.2022 तक भर्ती रखकर पुनः 8 दिवस की दवाई देकर डिस्चार्ज किया गया लेकिन परिवादी को न तो दर्द से निजात मिल रहा था और ना ही विपक्षीगण द्वारा लेजर ऑपरेशन के उपरांत चिकित्सकीय त्रृटि से उत्पन्न उक्त समस्या का

समाधान नहीं हुआ। डॉक्टर ने जब परिवादी का ऑपरेशन किया तो उसकी बांयी तरफ की किडनी के Lower Poll में Pseudoaneursym हो गया अर्थात परिवादी की बांयी तरफ की किडनी में पोस्ट PCNL किडनी के Lower Poll में छेद हो गया जिसके कारण परिवादी के यूरिनरी ब्लैडर में रक्त एकत्रित हो रहा था और रक्त जमने के कारण उसके क्लोटस बन रहे थे जिसकी वजह से यूरिन की जगह से ब्लड व ब्लड के क्लोटस निकल रहे थे और दिनांक 09.02.2022 को PCNL के दौरान किडनी के Lower Poll में हुये छेद के कारण उक्त समस्याऐं हो रही थी और उसका ऑपरेशन कर डॉक्टर रघुनाथ ने यूरेनरी ट्रेक में जेनेटर एरिया में इंजेक्शन लगाया और कई वायर डाल तथा ऑपरेशन कर परिवादी के किडनी के छेद को बंद किया और दिनांक 19.03.2022 को परिवादी को डिस्चार्ज किया और राजस्थान हॉस्पिटल में भी परिवादी को लगभग राशि 26,400/—रूपये ईलाज के दौरान अदा करने पड़े एवं 1,48,000/—रूपये बीमा कम्पनी से क्लेम के जरिये प्राप्त किये। इसके पश्चात ही परिवादी को कुछ राहत मिली लेकिन यूरिन खुलकर नहीं आया और यह समस्या जारी रही जिस पर दिनांक 20.03.2022 को परिवादी को मालपाणी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल को भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर एन.के. मालपाणी ने पुनः ब्लड के क्लोटस निकाले। तदोपरांत दिनांक 23.03.2022 को परिवादी की तबीयत पुनः खराब हुई तो भर्ती के दौरान मालपानी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने परिवादी को डॉ. सजंय गोयल जो कि सीनियर कन्सलटेन्ट यूरोलोजिस्ट किडनी, स्टोन, प्रोटेस्ट, लेजर व लेप्रोस्क्रापिक के विशेषज्ञ है, को रेफर किया जिन्होनें परिवादी को 02 यूनिट ब्लड चढाया। परिवादी का यह भी कथन है कि विपक्षीगण ने मात्र परिवादी की मेडिकल पॉलिसी होने का फायदा उठाने की मंशा से काफी दिनों तक भर्ती रखा और काफी अधिक राशि ऐंठ ली। उसके बावजूद उसकी समस्या का समाधान नहीं किया। इस प्रकार विपक्षीगण का उक्त कृत्य गंभीर सेवादोष व अनुचित व्यापार प्रथा को दर्शाता है। अंत में परिवादी ने विपक्षीगण की लापरवाही से व्यय हुई राशि 3,10,000/—रूपये तथा मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति राशि व परिवाद व्यय आदि दिलाने की मांग की।

02. विपक्षीगण ने जवाब पेश किया जिसमें कथन किया कि शिकायतकर्ता को एक आवर्तक stones है और गुर्दे के निचले कैलीसील क्षेत्र में कई stones के साथ—साथ गुर्दे की नाकाबंदी के कारण मध्यम सूजन के साथ एक ही गुर्दे के मध्य मुत्रवाहिनी में एक बड़ा 13 एमएम स्टोन थी। यू.एस.जी रिपोर्ट की प्रति अनुबन्ध—1 के रूप में संलग्न है। परिवादी का यह कथन झूंठ है कि उनके

द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि सर्जरी बहुत कम समय में की जाएगी और उसे अगले दिन छुट्टी दे दी जायेगी। परिवादी के कोई आपात स्थिति नहीं थी और यह एक सुनियोजित प्रक्रिया थी। सर्जरी के बाद परिवार और रिश्तेदारों को प्रक्रिया के बारे में बताया गया stones की पूरी निकासी और मूत्र catheter के कारण कुछ मूत्र सनसनी सहित अपेक्षित परिणाम और दर्द जिसके लिए वह आवश्यकता के आधार पर दर्द की दवा मांग सकता है। सहमति फार्म की एक प्रति अनुलग्नक–7 संलग्न है। केवल एक सर्जरी पीसीएनएल की गई थी, स्टोन्स की पूरी निकासी हासिल की गई थी और ओ.टी में इसका उल्लेख किया गया था। पीसीएल प्रक्रिया में मुत्र साफ होने के बाद किडनी टयूब या नेफ्रोस्टॉमी को हटा दिया जाता है जो आमतौर पर सर्जरी के बाद अगले 48 घंटों में होता है। इसके बाद टयूब हटाने वाली जगह से कभी–कभी पेशाब का रिसाव होता है जो अगले 24 घंटो के भीतर अपने आप बंद हो जाता है। रोगी पूरे समय आराम से रहा और इस अवधि के दौरान दर्द की कोई शिकायत नहीं थी (प्रगति नोटस और नर्सिंग नोटस की प्रति अनुलग्नक–11 है। catheter हटाने के बाद ब्लैडर खाली हो जाता है ब्लैडर में स्टेंट के कारण यूरिन पास करने में कुछ सनसनी हो सकती है। सभी रोगीयों को निर्देश दिया जाता है कि वे पेशाब करने के लिए दबाव न डाले या गति न करें और झटके से बचे क्योंकि इससे रक्तस्राव का खतरा बढ जाता है। इसके बावजूद रोगी द्वारा पेशाब करने के अत्यधिक दबाव के प्रयासों के बाद रक्तस्राव शुरू हो गया। मुत्र में रक्त मुत्राशय में जमा हो जाता है और मूत्र प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर सकता है जिससे मूत्र प्रतिधारण और पेट के निचले हिस्से में सूजन हो जाती है। इस प्रकार मूत्र प्रतिधारण को दूर करने के लिए कैथेटर लगाने की आवश्यकता होती है। मूत्राशय को धोने के लिये इरिगेशन शुरू की जाती है ताकि उसके अंदर खून का थक्का जमने से रोका जा सके। यह एक मानक चिकित्सा उपचार है, कोई चिकित्सा त्रृटि नहीं थी। डिसचार्ज के समय कोई शिकायत/दर्द नहीं था और पेशाब साफ था। शिकायत के आधार पर मरीज को दवा दी गई। यह गलत कहा गया है कि 3 बोतल पेशाब से भरी हुई है। 3 लीटर की बोतलें सामान्य लवण की होती है जिनका उपयोग मूत्राशय को धोने के लिए किया जाता है न कि मूत्र निष्कासन के लिए। छुटी के समय मरीज को कोई शिकायत नहीं थी। परिवादी कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है व परिवाद खारिज किए जाने की प्रार्थना की।

03. दोनों पक्षों की ओर से शपथ पत्र एवं दस्तावेज पेश किए गए तथा साक्ष्य में शपथ–पत्र भी पेश किए गए।

04. दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। दोनों पक्षों ने दौराने बहस परिवाद व जवाब के तथ्यों को ही दोहराया है।

05. प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी के पेट में दर्द होने पर दिनांक 08.02.2022 को विपक्षी सं0 1 के अस्पताल में दिखाया तो विपक्षी सं0 2 ने परिवादी को सोनोग्राफी कराने बाबत कहा जिस पर परिवादी ने अविलम्ब सोनाग्राफी कराई जिसकी रिपोर्ट विपक्षी सं0 2 को दिखाने पर विपक्षी सं0 2 ने परिवादी व उसकी पत्नी को जाहिर किया कि परिवादी की बांयी तरफ की किडनी के यूरेटर में लगभग 13 एम.एम का स्टोन व कुछ छोटे स्टोन किडनी में ओर बताये और अविलम्ब परिवादी को दूरबीन से ऑपरेशन करने बाबत कहा और यह आश्वासन दिया कि दूरबीन से नोरमल प्रक्रिया के तहत ऑपरेशन बहुत कम समय में हो जायेगा और अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया जायेगा तथा यह भी जाहिर किया कि लेजर के जरिये ऑपरेशन कर स्टोन निकाल दिये जायेगें जिससे परिवादी को कोई तकलीफ नहीं होगी। विपक्षी सं0 1 ने परिवादी के भर्ती होने के उपरांत सभी आवश्यक जांचे करवाई थी और परिवादी के किडनी में स्टोन के अतिरिक्त अन्य सभी जांचे सामान्य थी एवं परिवादी के हिमाग्लोबिन 15 था। विपक्षी सं0 2 ने परिवादी की सभी जांचे,रिपोर्ट देखने के पश्चात दिनांक 09.02.2022 को परिवादी का लेजर/दूरबीन से ऑपरेशन कर परिवादी की किडनी से स्टोन निकाले और कहा कि आपका ऑपरेशन हुआ है, कुछ दर्द तो होगा ही, कुछ दिन में ठीक हो जायेगा। उसके उपरांत दिनांक 11.02.2022 को विपक्षी सं0 2 ने डिस्चार्ज करने को कहकर विपक्षी सं0 1 के स्टाफ द्वारा परिवादी के यूरिन के लिए लगाये गये केथेटर को केथेराईजेशन कर केथेटर/यूरिन बैग हटा दिया जिस समय परिवादी के पेटे में पूर्व की भांति दर्द हो रहा था और परिवादी के यूरिन की जगह से काफी ब्लड निकल रहा था एवं ब्लड के क्लोटस निकल रहे थे। इस बाबत अविलम्ब परिवादी की पत्नी ने विपक्षीगण को बताया तब भी विपक्षीगण ने आपातकालीन प्रक्रिया न अपनाकर डॉक्टर का इंतजार करने बाबत कहा और बाद में डॉक्टर ने परिवादी को इमरजेन्सी में लेकर तीन–तीन लीटर की बोतल लगाकर परिवादी का यूरिन टयूब से यूरिन निकाला जिसे परिवादी व उसके परिवाजन काफी घबरा गये और विपक्षीगण के उक्त कृत्य से यह स्पष्ट प्रमाणित हो रहा था कि परिवादी के ऑपरेशन के बाद से ही यूरिन नही आ

रहा था अर्थात बहुत कम आ रहा था लेकिन इस पर विपक्षीगण ने किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया।

06. विपक्षीगण का यह कथन रहा कि परिवादी के गुर्दे के निचले कैलीसील क्षेत्र में कई stones के साथ–साथ गुर्दे की नाकाबंदी के कारण मध्यम सूजन के साथ एक ही गुर्दे के मध्य मुत्रवाहिनी में एक बड़ा 13 एमएम स्टोन थी। यूएसजी रिपोर्ट की प्रति अनुबन्ध–1 के रूप में संलग्न है। परिवादी का यह कथन झूंठ है कि उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि सर्जरी बहुत कम समय में की जाएगी और उसे अगले दिन छुट्टी दे दी जायेगी। परिवादी के कोई आपात स्थिति नहीं थी और यह एक सुनियोजित प्रक्रिया थी। सर्जरी के बाद परिवार और रिश्तेदारों को प्रक्रिया के बारे में बताया गया stones की पूरी निकासी और मूत्र catheter के कारण कुछ मूत्र सनसनी सहित अपेक्षित परिणाम और दर्द जिसके लिए वह आवश्यकता के आधार पर दर्द की दवा मांग सकता है। सहमति फार्म की एक प्रति अनुलग्नक–7 संलग्न है। केवल एक सर्जरी पीसीएनएल की गई थी, स्टोन्स की पूरी निकासी हासिल की गई थी और ओ.टी में इसका उल्लेख किया गया था। पीसीएल प्रक्रिया में मुत्र साफ होने के बाद किडनी टयूब या नेफ्रोस्टॉमी को हटा दिया जाता है जो आमतौर पर सर्जरी के बाद अगले 48 घंटों में होता है। इसके बाद टयूब हटाने वाली जगह से कभी–कभी पेशाब का रिसाव होता है जो अगले 24 घंटो के भीतर अपने आप बंद हो जाता है। रोगी पूरे समय आराम से रहा और इस अवधि के दौरान दर्द की कोई शिकायत नहीं थी (प्रगति नोटस और नर्सिंग नोटस की प्रति अनुलग्नक–11 है। catheter हटाने के बाद ब्लैडर खाली हो जाता है ब्लैडर में स्टेंट के कारण यूरिन पास करने में कुछ सनसनी हो सकती है। रोगी को निर्देश दिया कि पेशाब करने के लिए दबाव न डाले या गति न करें और झटके से बचे क्योंकि इससे रक्सस्राव का खतरा बढ जाता है। इसके बावजूद रोगी द्वारा पेशाब करने के अत्यधिक दबाव के प्रयासों के बाद रक्तस्राव शुरू हो गया। मुत्र में रक्त मुत्राशय में जमा हो जाता है और मूत्र प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर सकता है जिससे मूत्र प्रतिधारण और पेट के निचले हिस्से में सूजन हो जाती है। इस प्रकार मूत्र प्रतिधारण को दूर करने के लिए कैथर लगाने की आवश्यकता होती है। मूत्राशय को धोने के लिये इरिगेशन शुरू की जाती है ताकि उसके अंदर खून का थक्का जमने से रोका जा सके। यह एक मानक चिकित्सा उपचार है, कोई चिकित्सा त्रृटि नहीं थी। डिसचार्ज के समय कोई शिकायत/दर्द नहीं था और पेशाब साफ था। शिकायत के आधार पर मरीज को दवा दी गई। यह गलत कहा

गया है कि 3 बोतल पेशाब से भरी हुई है। 3 लीटर की बोतलें सामान्य लवण की होती है जिनका उपयोग मूत्राशय को धोने के लिए किया जाता है न कि मूत्र निष्कासन के लिए। परन्तु विपक्षीगण के द्वारा परिवादी के स्टोन का ऑपरेशन किया गया व कैथेटर हटाने के पश्चात रोगी के रक्तस्राव काफी मात्रा में होने लग गया। जब डॉक्टर ने परिवादी का ऑपरेशन किया तब उसकी बांयी तरफ की किडनी के Lower Poll में Pseudoaneursym हो गया अर्थात परिवादी की बांयी तरफ की किडनी में पोस्ट PCNL किडनी के Lower Poll में छेद हो गया जिसके कारण परिवादी के यूरिनरी ब्लैडर में रक्त एकत्रित हो रहा था और रक्त जमने के कारण उसके क्लोटस बन रहे थे जिसकी वजह से यूरिन की जगह से ब्लड व ब्लड के क्लोटस निकल रहे थे और दिनांक 09.02.2022 को PCNL के दौरान किडनी के Lower Poll में हुये छेद के कारण उक्त समस्याऐं हो रही थी और उसका ऑपरेशन कर डॉक्टर रघुनाथ ने यूरेनरी ट्रेक में जेनेटर एरिया में इंजेक्शन लगाया और कई वायर डाल तथा ऑपरेशन कर परिवादी के किडनी के छेद को बंद किया और दिनांक 19.03.2022 को परिवादी को डिस्चार्ज किया और राजस्थान हॉस्पिटल में भी परिवादी को लगभग राशि 26,400/—रूपये ईलाज के दौरान अदा करने पड़े एवं 1,48,000/—रूपये बीमा कम्पनी से क्लेम के जरिये प्राप्त किये। इसके पश्चात ही परिवादी को कुछ राहत मिली लेकिन यूरिन खुलकर नहीं आया और यह समस्या जारी रही जिस पर दिनांक 20.03.2022 को परिवादी को मालपाणी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल को भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर एन.के. मालपाणी ने पुनः ब्लड के क्लोटस निकाले एवं उस दौरान परिवादी को काफी तेल 104 डिग्री बुखार भी आ रहा था और डॉक्टर ने कहा कि तेज बुखार उक्त इन्फेक्शन के कारण आ रहा है तथा यह भी कहा कि अगर आज शाम तक नहीं आते तो कल का सूरज नहीं देख पाते। इस बात को सुनकर परिवादी की पत्नी, बच्चों व वृद्व माताजी को काफी धक्का लगा कि विपक्षीगण द्वारा दिनांक 09.02.2022 को किये गये ऑपरेशन के समय पथरी निकालने के दौरान परिवादी की दांयी किडनी में छेद हो गया। विपक्षीगण द्वारा लापरवाहीपूर्वक ऑपरेशन किया गया जिस कारण पथरी निकालने के दौरान किडनी में छेद कर दिया गया। इस प्रकार विपक्षीगण का उक्त कृत्य सेवा दोष की श्रेणी में आता है।

07. अतः परिवादी को विपक्षीगण से उसके इलाज में खर्च हुई राशि 3,10,000/—अक्षरे तीन लाख दस हजार रूपये दिलाया जाना न्यायोचित है। इसके अलावा परिवादी को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा और

काफी ब्लड परिवादी के शरीर से निकल गया और काफी दिन पीड़ित रहा है जिसके लिए मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति राशि व परिवाद व्यय भी दिलाया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः परिवादी का परिवाद विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि विपक्षीगण, परिवादी को उसके ईलाज में खर्च हुई राशि 3,10,000/–अक्षरे तीन लाख दस हजार रूपये तथा इस राशि पर परिवाद दायर करने की तारीख से अदायगी तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अदा करें। इसके अलावा विपक्षीगण, परिवादी को मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति पेटे 15,00,000/–रूपये व परिवाद व्यय के 50000/–रूपये, कुल 15,50,000/–अक्षरे पन्द्रह लाख पचास हजार रूपये भी आज से एक माह में अदा करें अन्यथा परिवादी इस राशि पर आज की तारीख से वसूली तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2024 को खुले आयोग में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीमती हेमलता अग्रवाल)
सदस्या

(ग्यारसी लाल मीना)
अध्यक्ष